संवरमल मेघवाल बनाम सचेन्द्र कड़वासरा आदि
2009/09
निर्णय दिनांकः–05.03.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 38/2008 दर्ज तिथिः– 11.06.2009

1. सांवरमल पुत्र स्व. शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू

................प्रार्थीगण

बनाम

1. सचेन्द्र कड़वासरा पुत्र श्री भूपसिंह कड़वासरा जाति जाट निवासी नेशल छोटी राजगढ चूरू
2. गोपालराम पुत्र स्व. शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री भागीरथ सिद्ध

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय

1. सायल अपनू पूर्वज पड़दादा श्री जोराराम की औलाद है जिस जेसाराम के दो पुत्र बड़ा पुत्र उदाराम व छोटा लादुराम सायल का दादा और बड़े दादा उदाराम के मंगतुराम और सायल के दादा लादुराम के शंकरलाल पिता सायल हुवे जिनका स्वर्गवास हो गया है तथा उनके दो पुत्र सायल व गैर सायल नं. 02 है सायल के पूर्वज परिवार शामिल सरोकार रहते आये है और उस समय जो जो बड़ा मुखिया परविार में होता उसी के नाम काम काज खेत के कागजात आदि नाम होते, अतः पुराने समय से चली आ रही रीत व रिवाज के अनुसार सायल के पूर्वजों के कब्जा, काश्त व अधिकार में रोही मोजा रतननगर त. चूरू में स्थित खेत खसरा नम्बर 149 तादादी 55 बीघा 14 बिश्वा , खसरा नम्बर 401 तादादी 16 बीघा 9 बिश्वा सम्वत् 2006 से पहले समय से ही उदाराम का नाम राजस्व अभिलेख में जैसाराम के पश्चात् दर्ज चलता आया जबकि इस पर बतोर मालिक काबिज काश्तकार जैसारराम के दोनों पुत्र उदाराम व लादुराम मय परिवार चलते आये और धीरे धीरे लादुराम के पुत्र शंकरलाल पिता सायल व गैरसायल नं. 02 और उसके पश्चात् सायल व उसके परिवार के कब्जा, काश्त में उल्लेखित दोनों खतेदों की भूमि चलती आई है कि जिन खेतों में बा[illegible] नम्बर सेटलमेन्ट द्वारा सम्वत् 2025 में खसरा नम्बर 146 के नये खसरा नम्बर 214 तादादी [illegible] बीघा 04 बिश्वा व खसरा नम्बर 926/214 तादादी 09 बीघा, व पुराना खसरा नम्बर 401 के लसे खसरा नम्बर [illegible] तादादी 9 बीघा 12 बिश्वा कायम कर दिये गये। इस प्रकार से उपर लिखे खसरान की भूमि पहले सायल के पूर्वजों और फिर सायल के आत्यंतिक कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग व अधिकार में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:33 IST
Reason: SelfAttested

सम्वत् 2006 से पहले से आज तक शान्तिपूर्वक चली आ रही है। सबंधित राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरीयां सम्वत् 2006 से 2010, व 2011 से 2014, 2015 से 2016, 2017 से 2020, 2021 से 2025, 2025 से 2028 व 2020 तथा सेटलमेन्ट सम्वत् 2025 के पुराने व नये खसरा की फोटो प्रतिया साथ में पेश जिसमें सायल का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रमाणित है।

2. इन वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 124, 926/214 व 270 रोही मोजा रतननगर तहसील चूरू में स्थित सम्वत् 2006 से पूर्व समय से उपर लिखे अनुसार सायल के पूर्वजों और फिर सायल के आत्यंतिक कब्जा काश्त उपयेाग व उपभोग व अधिकार में चलती आ रही है और राजस्व अभिलेख गिरदावरियां तथा जमाबन्दी में भी सायल के पूर्वजों का नाम है जिसके अनुसार खातेदारी सायल हरिजन निर्धन पिरवार को मिल जानी चाहिये थी मगर गैरसालय नम्बर 03 द्वारा गलत रूप से नहीं दी गयी और बृजमोहन अगरवाल महाजन आदि के पूर्वजों व फिर उनके वारिसान के नाम गलत रूप से बिना कब्जा काश्त व अधिकार इन खेतो पर दर्ज ने से उस बृजमोहन द्वारा एक दावा सं. 277/98 व दरख्वास्त स्टे. सं. 78/98 इसी अदालत में संस्थित किया जिसमें उसके द्वारा बिना कब्जा व अधिकार के दावा किया जो रिपोर्ट तहसीलदार स्थल निरीक्षण दिनांक 16.06.98 से सायल व उसके परिवार का कब्जा, आवास, झोपड़ा आदि होना पाया गया और बिना कब्जा, काश्त उपयोग व अध्किार के दावा व दरख्वास्त पेश होने के तथ्य आये इसलिए उसी दरमियान बृजमोहन ने कथित खेतों पर अपना ही कब्जा होना कहते हुवे प्रतिवादीगण को पक्षकारान हटा दिया इस तरह जिस अनुतोष के लिए दावा व दरख्वास्त स्टे अदालत में पेश किये वोह बिना अनुतोष मिले ही इन खेतों में से 2/12 हिस्सा को बिना कब्जा काश्त व अधिकर के मनसुख पुत्र रामकुमार जाट कसवा सा. ढाण पट्टा सात्युं व महासिंह पुत्र हरचन्दराम जाट सा. जोथडा त. तारानगर प्रति 01 व के पक्ष में दिनांक 05.08.99 को बैनामा उपपंजीयक चूरू में तस्दीक करा दिया जिस पश्चात् बृजमोहन द्वारा किया गया दावा व दरख्वास्त स्टे 15.12.99 को खारिज हो गया जिसको फोटो प्रतिंयां पेश की जा रही है।

3. उपर लिखे अनुसार राजस्व अभिलेख अनुसा कब्जा, काश्त उपयोग उपभोग उपरलिखित खेतों पर पहले पूर्वज सायल व उसके बाद सायल का आत तक लगातार चला आ रहा है कि जो हटाया नहीं गया है और उस कब्जा काश्त के तथ्यों को खुद बृजमोहन व उसके भाई राधेश्याम ने अपने द्वारा किये गये बैनामा दिनांक 05.08.1999 में इस तरह मान लिया है कि उसके द्वारा इन वादगत खेतों पर अपना कब्जा काश्त उपयोग उपभोग होना बैनामा में कही नही लिखा मात्र सहखातेदारी होना लिखा है। इस तरह सायल का कब्जा काश्त व अधिकार वादगत खेतों पर सुस्पष्ट है और जिन खेतों के 2/12 हिस्सा के प्रति वादी 01 व 02 क्रेतागण ने भी कभी कब्जा सायल से प्राप्त नहीं किया व न उनका कब्जा रहा और इसी बात को लेकर सायल व गैर सायल के भई गोपलराम को नाजायज तरीके से दबाव डालकर गलत तरीके से उसका दावा व दरख्वास्त स्टे इसी अदालत में 27.04.2005 को विडरा करवा दिये और सायल अकेला गरीब हरीजन बेसहारा है जिसका नाजायज फायदा उठाने के लिए उन प्रतिवादी सं. 01 व 02 द्वारा जबरन कब्जा, काश्त की चेष्टा करने पर उपरोक्त सरकार वादगत खेतों बाबत अदालतवाला में दावा सायल ने उन प्रतिवादी सं. 01 व 02 व बृजमोहन आदि के विरूद्ध पेश किया गया व उसके साथ–साथ दरख्वास्त स्टे पेश की जिस दरख्वास्त स्टे सं. 13/05 में स्टे अदालत द्वारा जारी कर दिया गया और कब्जा, काश्त, उपयोग वादगत खेतों पर सायल का चलता आया और जब तक अदालत से कब्जा वदगत खेतों पर प्रतिवादी सं. 01 व 02 या बृजमोहन आदि सायल से हासिल न करले सायल का ही कब्जा, उपयोग, आवास बरकरार रहने से सायल ने 16.01.2008 को [illegible] कि जो नकल पेश है।

4. बिना कब्जा काश्त अधिकार के गलत रूप से [illegible] 01 व 02 ने गलत रूप से इन्तकाल 14.03.2008 को अपने नाम दर्ज [illegible] उन प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने वादगत खेतों में का 2/[illegible] बैनामा से खरीद किया उस 2/12 हिस्सा को बेचे गये हि[illegible] आदि का रहा वा ना ही प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का रहा और ना ही गैर सायल नं. 01 [illegible] और बिना कब्जा के बैनामा होने से वोह भी निरस्तनीय है कि जिस बाबत सायल का 10.04.06 को ज्ञान होने पर नकुलात हासिल करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:33 IST
Reason: SelfAttested

हुवे गैरसायल का कब्जा करने वा आगे बय करने से रोका जाना आवश्यक हो गया है साथि ही गैरसायल नं. 02 द्वारा उसका सहयोग न करे व गैरसायल नं. 03 कथित गलत, बिना कब्जा के बैनामा के आधार पर राजस्व अभिलेख में परिवर्तन ना करे इसके लिये यह आवेन लाला आवश्यक व अधिकारों की रक्षार्थ लाला पड़ा है तथा गेर सायल नं. 01 को दावा में पक्षकार बनाने के लिये आवेदन कर दिया गया है।

5. उपरोक्तानुसार जो दावा अदालतवाल में सायल द्वारा मंसूख आदि के विरूद्ध घोषणात्मक खातेदारी व कथित बैनामा मन्सूख कराने आदि का वादगत खेतो पर कि जिन पर पहले साल के पूर्वजों का व फिर सायल का कब्जा, काश्त, उपयोग आवास चलता आ रहा उस दावा में सायल का सफलता की पूरी —पूरी आशा है ओर उस दावा के विचारणकाल में आधा ना आवे अस्थाई व्यादेश का आवेदन लाया गया है।
6. उपर लिखे अनुसार प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तीय क्षति का कमा मामला सायल के पक्ष में तथ ापहले भी सायल के पक्ष में स्टे जारी किया हुआ है अतः अब पुनः जारी करने में बाधा नहीं है।
7. आवेदन मय शपथ—पत्र पेश कर निवेदन है कि स्वीकार किया जावे व ता फैसला दावा जरिये स्टे गैरसायलान को पाबन्द किया जावे कि वोह वादगत खेत खसरा नम्बर 214, 926/214, 270 रोही मोजा रतननगर के किसी हिस्सा पर से सायल का कब्जा, आवास, उपभोग न हटावे न खुद करे ना काश्त करे, ना बैनामा दिनांक 09.02.09 के आधार पर इन्तकाल दर्ज करावे न करे ना ऐसा कार्य या उपकार्य कि जिससे सायल को किसी तरह नुकसान हो ऐसा कार्य करें। प्रार्थना—पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया व अप्राथी संख्या 02 पर विधिवत तामील के बावजूद न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि

1. यह कि प्रार्थना—पत्र की मद संख्या एक में जैसाराम के दो पुत्र उदाराम व लादूराम होना स्वीकार है। व प्रार्थी सांवरमल लादूराम का उतराधिकारी होना भी स्वीकार है। लेकिन शेष तथ्य गलत लिखे होने के कारण अस्वीकार किये जाते है। प्रार्थी के पिता व दादा लादूराम का प्रार्थना—पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर कोई कब्जा व काश्त नहीं है। इस मद में उदाराम व लादूराम के परिवार के शामलाति रहने बाबात तथ्य गलत लिखे है जो अस्वीकार है प्रार्थी सांवरमल का इस कृषि भूमि पर कोई कब्जा व काश्त नहीं । प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं है। प्रार्थना—पत्र में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पहले प्रतिवादी संख्या 03 से 19 की खातेदारी में अंकित थी जिस में से खातेदारान ने 2/12 हिस्सा कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 01 व दो को विक्रय पर मौके पर कब्जा खसरा नम्बर 270 तादादी 09 बीघा 12 बिश्वा में दे दिया गया। वा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नामान्तरणकरण संख्या 865 दिनांक 24.03.2008 से राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी प्रतिवादी संख्या 01 व दो के नाम इस 2/12 हिस्सा कृषि भूमि की खातेदारी भी अंकित कर दी गयी प्रतिवादीगण संख्या 01 व 2 ने प्रतिफल लेकर अपने इस 2/12 हिस्सा कृषि भूमि का अप्रार्थी सचेन्द्र को विक्रय कर दिया व अप्रार्थी सचेनछ के हक में बैनामाम दिनांक 09.02.2009 को अप्रार्थी सचेन्द्र के नाम तस्दीक कर दिया गया व मौके पर खसरा नम्बर 270 तादादी 09 बीघा 12 बिश्वा मं अप्रार्थी सचेन्द्र को कब्जा भी सम्भला दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी सचेन्द्र कृषि भूमि का खातेदारी की कृ[illegible] अप्रार्थी संख्या 01 सचेन्द्र कृषि भूमि का खातेदार होने के कारण उसके खिलाफ अ[illegible] आज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।
2. यह कि मद संख्या 02 जिस प्रकार [illegible] होने से अस्वीकार किये जाते है। प्रतिवादी संख्या 01 मनसुख व प्रतिवादी संख्या 02 महासिक के हक में करवाया गया बैनामा दिनांक 09.06.1999 बिल्कुल सही है वर्तमान [illegible] इस कृषि भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा व काश्त नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:33 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि मद संख्या 03 प्रार्थना–पत्र में वर्णित समस्त तथ्य गलत लिखे है जो अस्वीकार है। दावा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा वाकाश्त नहीं है। प्रार्थी सांवरमल व उसके भाई गोपालराम ने पहले भी पूर्व क्रेता मनसुख व महासिंह से इस कृषि भूमि बाबत विवाद किया था। जिस पर पूर्व क्रेता मनसुख आदि बनाम गोपालराम आदि का खसरा नम्बर 270 के बाबत पेश किया गया व इस दावा के साि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र भी पेश किया गया जिस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र में खसरा नम्बर 270 तादादी 09 बीघा 12 बिश्वा वाके रोही कस्बा रतननगर को उपरोक्त दावा में कुर्क किया जाकर तहसीलदार चूरू को रिसिवर नियुक्त किया गया। इस दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राथन–पत्र में पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो गया जिस राजीनाम के मुताबिक अप्रार्थी गोपालराम व सांवरमल का कब्जा खसरा नम्बर 270 तादादी 09 बीघा 12 बिश्वा में उतरी तरफ की 03 बीघा भूमि पर व दक्षिण तरफ की शेष भूमि क्रेता खातेदार मनसुख व महासिंह के कब्जे व खातेदार की होना स्वीकार किया जिस जिस राजीनाम के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू द्वारा प्रकरण संख्या 32/2000 में आदेश दिनांक 24.05.2005 के द्वारा कुर्क सुदा खसरा नम्बर 270 की भूमि को कुर्की से बागुजार किये जाने का आदेश रिसिवर तहसीलदार चूरू को दिया जिसकी पालना में दिनांक 20.07.2008 को खसरा नम्बर 270 तादादी 09 बीघा 12 बिश्वा भूमि को मौके पर कुर्की से बागुजार किया गया वा कुर्की से बागुजार होने पर उतरी तरफ की 03 बीघा भूमि पर राजीनामा के मुताबिक प्रार्थी सांवरमल व उसके भाई अप्रार्थी गोपालराम का कब्जा रहा व दक्षिण तरफ की शेष भूमि खातेदार मनसुचा व महासिंह के पासर राजीनामानुसार रही व मनसुख व महासिंह के कब्जे व खातेदारी भूमि को ही बैनामा दिनांक 09.02.2009 अप्रार्थी सचेन्द्र ने खरीद कर खसरा नम्बर 270 में मौके पर कब्जा प्राप्त किया जो उसी समय से अप्रार्थी सचेन्द्र के पास है। इस कृषि भूमि का अप्रार्थी सचेन्द्र की काश्तकार है। खसरा नम्बर 270 तादादी 09 बीघा 12 बिश्वा में से राजीनामा के मुताबिक प्रार्थी के हिस्से का उतरी तरफ की 03 बीघा भूमि का कब्जा इकरारनामा दिनांक 09.02.2008 से प्रार्थी सांवरमल ने श्री सत्यनारायण पुत्र श्री पूर्णाराम गुजर निवासी वार्ड संख्या 06 रतननगर की तीनलाख बीस हजार रूप्या लेकर संभला दिया व बाबत श्री सत्यनारायण गुजर के हक में दिनांक 01.02.2008 को ही प्रार्थी सांवरमल ने इकरारनामा लिख कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा कर श्री सत्यनारायण गुजर को दे दिया तभी इस तीन बीघा भूमि पर कब्जा काश्त श्री सत्यनारायण गुजर का ही रहा है श्री सत्यनारायण गुजर ने इकरारनामा दिनांक 01 .02.2008 से खरीद सुदा कब्जा की तीन बीघा भूमि का कब्जा कुल 03 लाखा 25 हजर रूप्ये लेकर दिनांक 08.04.2009 को श्री बुद्धमल पुत्र श्री मालीराम जाति माली निवासी वार्ड संख्या 01 रतननगर को सभला दिया जिसके बारे में श्री सत्यनारायण गुजर ने दिनांक 08.04.2009 को ही इकरारनामा श्री बुद्धमल माली के हक में निष्पादित कर इस तीन बीघा भूमि का कब्जा भी मौके पर श्री बुद्धमल माली को सम्भला दिया इस प्रकार उतरी तरफ कि तीन बीघा भूमि पर कब्जा श्री बुद्धमल माली का है व दक्षिण तरफ की शेष भूमि पर कब्जा व काश्त सचेन्द्र अप्रार्थी का है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा प्राथन–पत्र पेश करने के समय प्रार्थी का कृषि भूमि खसरा नम्बर 270 तादादी 09 बीघा 12 बिश्वा भूमि पर कोई कब्जा वा काश्त नहीं था ना इस भूमि का प्रार्थी खातेदार है। इस प्रकार प्रार्थी के हक में प्रार्थी प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता । मद सख्या 03 में गोपालराम पर नाजायज दबाव बाल कर राजीनामा की लिखा पढी करने व मुकदमा उठाने के समस्त तथ्य गलत लिखे होने से अस्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:33 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि मद संख्या 04 प्रार्थना–पत्र में [illegible] लिखे है जो अस्वीकार किये जाते है बैनामा दिनांक 05.08.1999 व बैनामाम दिनांक [illegible] 1999 का प्रार्थी को शुरू से ही ज्ञान रहा है। प्रार्थी ने दूरभावन पूर्वक [illegible] पत्र पेश किया है बैनामा निरस्त करने का इस– न्यायालय [illegible] है बल्कि सिविल न्यायालय ही इसमें सक्षम है।

5. यह कि प्रार्थना–पत्र मी मद संख्या 05 में वर्णित समस्त तथ्य गलत लिखे है जो अस्वीकार किये जाते है। प्रार्थन–पत्र में वर्णित खसरा संख्या 270 तादादी 09 बीघा 12 बिश्वा पर कब्जा व

काश्त अप्रार्थी सचेन्द्र व श्री बुद्धमल पुत्र मालीराम माली निवासी रतननगर का है जिसके प्रमाण स्वरूप इकरारनामा दिनांक 01.02.2008 व इकरारनामा दिनांक 08.04.2009 की प्रतिलिपि साथ में पेश है।

6. यह कि मौजूदा वाद के साथ प्रार्थी सांवरमल द्वारा मनसुख आदि के खिलाफ अस्थई निषेधाज्ञा प्रार्थना—पत्र संख्या 13/2005 अनुवानी सांवरमल बनाम मनसुख वगैरा का पेश किया थ जिसमे दिनांक 01.06.2005 को न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किये थे लेकिन दावा संख्या 32/2000 में पक्षकारों के बीच हुवे राजीनाम के अनुसार प्रार्थी सांवरमल ने अपने द्वारा पेश अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना—पत्र को विड्रा किये जाने हेतु स्वयं ने अपने हस्ताक्षर से दिनांक 16.01.2008 व 18.01.2008 को प्रार्थना—पत्र पेश किये। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2008 को आदेश पारित किया जाकर प्रार्थीनी के प्रार्थना—पत्र संख्या 13/2005 विड्रा फरमाया गया व इसके बाद ही प्रार्थी सांवरमल ने खसरा नम्बर 270 तादादी 09 बीघा 12 बश्वा में राजीनामें के मुताबिक रखी गयी 12 बीघा भूमि को इकरारनामाम दिनांक 01.02.2008 के कुल 03 लाख 20 बहाज रूप्ये लेक इसका कब्जा श्री सत्यनारायण गुजर को सम्भला दिया व इसके बाद से खसरा नम्बर 270 की भूमि पर सांवरमल का कोई अधिकार नहीं रहा । इस प्रकार प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है।

7. यह कि खसरा नम्र 270 तादादी 09 बीघा 12 बश्वा वाके रोही कस्बा रतननगर पर उपर वर्णितानुसार प्रार्थी को कोई कब्जा व काश्त नहीं बल्कि इस सम्पूर्ण कृषि भूमि पर कब्जा व काश्त अप्रार्थी सचेन्द्र व श्री बुद्धमल पुत्र मालीराम माली निवासी वार्ड संख्या 01 रतननगर का है जिसने इस कृषि भूमि के तीन तरफ जोधपुरी पट्टियां रोपकर तारबंदी व बाड़ कर रखी है एवं पूर्वी तरफ काठ का दरवाजा गला रखा है व कृषि भूमि के अन्द श्री बुद्धमल माली व अप्रार्थी सचेन्द्र ने मौके पर एक झोपड़ा बना रखा है। जिसमें रिहायस एवं खाने पीने आदि का सामान व कपड़े आदि रखते है। व पशुधन भी इसी खेत में चराते है सम्पूर्ण भूमि का मौके पर देखभाल बुद्धमल सैनी करते है व इन्होंने अपनी रूपवाई पट्टियों पर काले रंग से अपना नाम भी लिखवा रखा है। इस प्रकार खसरा नम्बर 270 की कुल 09 बीघा 12 बिश्वा भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा व काश्त नहीं हैं इसलिए प्रार्थी के हक में कोंई प्रथम दृष्टया मामला सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्तीय क्षति का सिद्धान्त नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना—पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी सांवरमल का प्रार्थना—पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर गौर किया गया व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना—पत्र तथा अप्रार्थी संख्या 01 के जवाब, अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं पक्षकारों की दलीलों का अवलोकन किया गया।

8. प्रार्थी का मुख्य आधार यह है कि वादग्रस्त भूमि (खसरा नं. 214, 926/214 एवं 270, रोही रतननगर) पर उसका व उसके पूर्वजों का दीर्घकालीन कब्जा एवं काश्त रहा है तथा इसी आधार पर खातेदारी अधिकार का दावा किया गया है इसके विपरीत, अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा यह स्पष्ट रूप से प्रतिवाद किया गया है कि वादग्रस्त भूमि का 2/12 हिस्सा विधिवत पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से खरीदा गया, नामांतरण भी राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, तथा मौके पर वास्तविक कब्जा अप्रार्थी एवं अन्य व्यक्तियों (बुद्धमल आदि) का है। अभिलेख से यह भी परिलक्षित होता है कि पूर्व में वाद संख्या 32/2000 में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हुआ था, जिसके अनुसार खसरा नं. 270 की भूमि का विभाजन एवं कब्जा पृथक—पृथक पक्षों को दिया गया, तथा प्रार्थी द्वारा स्वयं पूर्व में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना—पत्र को वापस (विदड्रा) कर लिया गया। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि प्रार्थी द्वारा [illegible] हिस्से की भूमि के संबंध में इकरारनामा निष्पादित कर तीसरे पक्ष (सत्यनारायण गुजर) को कब्जा सौंपा जाना दर्शाया गया है, तत्पश्चात उक्त भूमि का कब्जा अन्य व्यक्ति (बुद्धमल) को [illegible] होना भी अभिलेख से प्रकट होता है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु आवश्यक तत्व प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन अपूरणीय क्षति का परीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि प्रार्थी का कब्जा स्पष्ट एवं निर्विवाद रूप से सिद्ध नहीं है, पूर्व राजीनामा एवं इकरारनामों से प्रार्थी का अधिकार संदिग्ध हो जाता है, वर्तमान में भूमि पर कब्जा विवादित होने के साथ—साथ अप्रार्थी के पक्ष में prima

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:33 IST
Reason: SelfAttested

facie अधिक मजबूत स्थिति परिलक्षित होती है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में असफल रहा है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है, तथा अपूरणीय क्षति का कोई ठोस आधार भी प्रदर्शित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी संवरमल द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना—पत्र खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश है कि

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकृत किया जाता है। साथ ही इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित एकपक्षीय स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 05.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:33 IST
Reason: SelfAttested